

आदेश

विषय- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं भार की जाँच करने पर भार वृद्धि करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का भार अधिक पाये जाने एवं उनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से भार वृद्धि के लिये आवेदन करने पर उनके भार वृद्धि की तुरन्त कार्यवाही की जावे एवं उसी के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जावें।

उक्त भार वृद्धि स्वैच्छिक रूप से मानते हुए मात्र बढ़े हुए भार की अमानत राशि ही ली जावे तथा अन्य कोई चार्ज एवं पेनल्टी नहीं ली जावे।

उक्त योजना 31 मार्च, 2008 तक ही लागू रहेगी। इस योजना की सूचना उपभोक्ताओं को भी दी जावे।

ह.

(बी.एल. अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
